न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाडमेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– /2024

प्रार्थी

तहसीलदार बाडमेर बनाम अप्रार्थीगण

अर्जुनराम वगैराह

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132

आदेश

दिनांक – 06/09/24

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व/2024/1360 दिनांक 06.09.2024 द्वारा मौजा महाबार पीथल पटवार क्षेत्र महबार तहसील व जिला बाडमेर में स्थाई रास्ते जो महाबार पीथल के खसरा संख्या 2364/530 रकबा 0.10 बीघा भूमि जो अर्जुनराम पुत्र रामलाल वगैराह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है पूर्व में मूल खेत खरा संख्या 530 का विभाजन करते समय नये खसरा संख्या 2363/530, 2362/530, 2361/530, 2360/530 खातेदारों के नाम दर्ज किये गये लेकिन सांसियों का तला से जोगाणियों के मन्दिर जाने के लिये सारे काश्तकारों ने मिलकर खसरा संख्या 2364/530 रकबा 0.10 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी में रखा जो वर्तमान में रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

पटवार मण्डल – महाबार **तहसील – बाडमेर**

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टी							नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टी		
क्र. सं.	जीसीएमस पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्तें में प्रभावित रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1		1360/06.09.2024	महाबार पीथल	2364/530	0.0809	बा.सो.	2364/530	0.0809	गै.मु. रास्ता

नोट :– तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

आदेश सरे ईजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:33:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर